

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 24/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 43 के समक्ष, कॉलम (3) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

“स्पष्टीकरण - इस छूट के उद्देश्य के लिए, ऐसे निकाय में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का सीधे तौर पर या ऐसे किसी निकाय के माध्यम से जो कि पूर्णतया केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व में आता हो, 50% या इससे अधिक का स्वामित्व अवश्य होना चाहिए।”

[फाइल संख्या 354/300/2018- टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2018-एकीकृत कर (दर) दिनांक 26 जुलाई, 2018, सा.का.नि 683 (अ) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।